24.06.25

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी मे ली गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपना प्रा० पत्र नोट पेस किया गया। अतः नोट पेस के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिफाफा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Not Pressed
Pass

(दिव्या सोनी)
RAS